न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना-पत्र संख्या :–16 / 2025
GCMS NO:- 2025/185

दायर दिनांक: 26.6.2025
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

कजोड आ0 रामगोपाल जाति कलाल नि. भैरूपुरा (गंभीरा) तहसील नैनवॉ हाल दुनी जिला टोंक।

प्रार्थी

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार सिन्धव।

निर्णय दिनांक 29.07.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम भैरूपुरा प0म0 गंभीरा तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 3 की भूमि खसरा नम्बर 1960, 1961, 1962, 1971 / 2553 कुल किता 4 कुल रकबा 4.5628 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है।

यह कि प्रार्थी गरीब असहाय व्यक्ति है जो सीधा साधा व सरल स्वभाव का होने से प्रार्थी को आस पडौस के खातेदार आये दिन भूमि के सीमांकन को लेकर विवाद करते है तथा प्रार्थी को भूमि को हांकने जोतने नही देते है। कहते है कि तुम्हारी भूमि तो पीछे ही रह गई है। यहां मत हांकों जिससे प्रार्थी को भूमि का सीमांकन नही होने से काफि परेशानी का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि के सीमाज्ञान हेतु आवेदन भी कर रखा है परन्तु पटवारी हल्का ने यह कहकर सीमाज्ञान करने से मना कर दिया कि सक्षम न्यायालय मे वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर पत्थरगढी का आदेश लाओ तब ही तुम्हारी भूमि का नाप करेंगे। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नक्शा की प्रति, शपथ पत्र एवं सीमाज्ञान आवेदन पत्र की प्रति आदि पेश कर अन्तर्गत धारा 111, 128 एलआर एक्ट के तहत् पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली मे प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि जो कि प्रार्थी के खाते मे दर्ज रिकॉर्ड है, की पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया गया है। चुंकि उक्त प्रार्थना पत्र एक सरसरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है तथा प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि प्रार्थी के खाते मे दर्ज रिकॉर्ड है एवं प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के सीमाज्ञान का भी आवेदन करना बताया गया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम भैरूपुरा प0म0 गंभीरा तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 3 की भूमि खसरा नम्बर 1960, 1961, 1962, 1971 / 2553 कुल किता 4 कुल रकबा 4.5628 हैक्टयर भूमि पर यदि प्रार्थी का कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ